



## प्रारूप 2 (नियम 11(4) देखिए)

आवृत्त क्रमांक/स्कूल क्रमांक : 120761/ 3803 कार्यलय जिला शिक्षा अधिकारी (संगरौली), मध्यप्रदेश

स्कूल : DAV Sr Sec Public School Nigahi

मान्यता का प्रकार - मदीनीकरण मान्यता

सं - 2022-23

मान्यता दिनांक - 03/04/2022

Signature Not Verified

Digitally signed by  
Date: 2022.04.03 14:53:56 +05:30  
Reason: Issued By: deo singrouli

प्रति,

प्रबंधक (DAV Sr Sec Public School Nigahi)

विषय : नि-शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम, 2009 की धारा 18 के पर्यवेक्षण के लिए नि-शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पर ।

महोदय / महोदय,

आपके आवृत्त पर दिनांक 28/01/2022 तथा इस संबंध में स्कूल से पर्यवेक्षण के लिए नि-शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम, 2009 की धारा 18 के पर्यवेक्षण के लिए नि-शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पर ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी :-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/ संबद्धता की कोई बाधकता किसी भी रूप में विद्यमान नहीं होगी
- स्कूल नि-शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा नि-शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल अपने पड़ोसी की सीमा के वरिष्ठ समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में नि-शुल्क और अनिवार्य पारंपरिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवृत्त व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवृत्त सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पंधीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्त कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्री स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ग) के उपबंध प्री-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे ।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा एसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देना होगा ।
- सोसाइटी/स्कूल बोर्डे भी कैंपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छात्रवृत्ति प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा ।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा -
  - o (क) आयु के सबूत के आभाव में ;
  - o (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पर्यवेक्षण ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - o (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर ।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
  - o किसी स्कूल में पारंपरिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोकना या निष्काशित नहीं किया जाएगा
  - o किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा;
  - o पारंपरिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को बोर्डे बोर्डे परीक्षा उत्तीर्ण करने कि आवश्यकता नहीं होगी ;
  - o नियम 19 के अधीन पारंपरिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पर दिया जाएगा;
  - o अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नि-शुल्क/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा
  - o अधिनियम की धारा 23(1) कि अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों कि भर्ती कि जाएगी; बशर्त कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के धारम्भ होने पर न्यूनतम आईएन नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के धारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष कि अवधि में निर्धारित न्यूनतम आईएन प्राप्त करनी होगी
  - o शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनियमित कर्तव्यों का पालन करना होगा
  - o प्रायवेट टीचिंग कि गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा
- स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनियमित स्कूल के मालक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे । अतिरिक्त सुविधाओं को समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गई :-

ATTESTED

Principal  
DAV Sr. Sec. Public School  
Nigahi, Distt. Singrouli (M.P.)

**स्कूल का विवरण**

स्कूल	डाइस कोड	शिक्षण क सत्र	जिला	क्षेत्र का प्रकार	विकास खण्ड(ब्लॉक)	ग्राम / ठाई	पिन कोड	पुलिस थाना	रेखाश अक्षांश
DAV Sr Sec Public School Nigahi	235008 23203	17	सिंगरौली	शहरी	WAIDHAN	MAHARANA PRATAP	486884	थाना 24.10 1961	रेखाश 82.623 5912

**स्कूल की सामान्य जानकारी**

स्कूल प्रारंभ होने की तिथि 01/08/1989

क्या स्कूल किसी सोसाइटी/न्यास/संगठन द्वारा संचालित है? हाँ

सोसाइटी/न्यास/संगठन का नाम DAV COLLEGE MANAGING COMMITTEE, NEW DELHI

सोसाइटी/न्यास/संगठन का पंजीयन क्रमांक 5791967

स्वामी का नाम

स्कूल के प्रबंधक/ अध्यक्ष/ सभापति का नाम MR. S.K.SINHA

पदनाम ASST. DIRECTOR

मोबाइल 0762224081

ई-मेल davmpzone@gmail.com

कार्यालय का पता JP DAV PUBLIC SCHOOL, PURENI, KATANI (MP)

कार्यालय का दूरभाष 07622-2407

**स्कूल की प्रकृति**

शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी

मान्यता हेतु स्कूल का प्रकार सहशिक्षा

क्या स्कूल आवासीय है? नहीं

क्या स्कूल केवल दिव्यांग बच्चों हेतु संचालित है? नहीं

क्या स्कूल को अल्पसंख्यक होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है? नहीं

प्रवेश की प्रारंभिक कक्षा प्री प्राइमरी-नर्सरी

प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम आयु 3

स्कूल की अंतिम कक्षा आठवीं

क्या स्कूल को शासन / स्थानीय प्राधिकारी अनुदान प्राप्त है? नहीं

क्या स्कूल मान्यता प्राप्त है? हाँ

प्राधिकारी का नाम CBSE

मान्यता क्रमांक 1030079

डाइस कोड(DISE)

क्या स्कूल राज्य सरकार/ केंद्र सरकार / स्थानीय प्राधिकारी से नहीं

नि.शुल्क अथवा रियायती दर पर किसी भूमि, भवन, उपकरण

अथवा अन्य सुविधाएं प्राप्त होने के कारण निश्चित संख्या में बच्चों

को नि.शुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु बाध्य है?

**ATTESTED**



Principal  
DAV Sr. Sec. Public School  
Nigahi, Distt. Singrauli (M.P.)

स्कूल का क्षेत्रफल

विवरण	आवेदन में दर्ज
स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	122275
खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	11000
स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन
स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	2148

अधोसंरचना का विवरण

विवरण	संख्या	ओसत आकार(वर्ग फिट में)
कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष	31	338
कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष	2	20
कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष	2	20
भोजनालय-सह-भण्डार	1	90

पाठ्यघर्षा एवं पाठ्यक्रम का विवरण

विवरण	बोर्ड	
स्कूल में उपलब्ध अन्य सुविधाओं का विवरण		
विवरण	आवेदन में दर्ज	फोटो
क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है	हाँ	
पठन पाठन सामग्री की हस्ताक्षरित सूची	हाँ	
खेलकूद एवं खेल उपकरण की हस्ताक्षरित सूची	हाँ	
पुस्तकों की संख्या	522	
पत्रिकाएँ/समाचार पत्र	4	
पेयजल सुविधा का प्रकार	Pipe Water	
पेयजल सुविधा की संख्या	10	
शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)	Indian	
लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	10	
लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	10	
विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	2	
क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है	हाँ	

नामांकन एवं शुल्क का विवरण

कक्षा	कुल सीट	कुल नामांकित छात्र	स्कूल द्वारा आरक्षित सीटें	वार्षिक शुल्क
-------	---------	--------------------	----------------------------	---------------

विद्यालय के प्राचार्य अथवा ट्रस्ट/सोसायटी के अध्यक्ष/प्रबन्धक का प्रमाणीकरण

विवरण	हाँ / नहीं
प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल ने राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संचारित वेबसाइट पर उपरोक्त वर्णित जानकारी भी दर्ज करा दी है।	हाँ

**ATTESTED**

  
Principal  
DAV Sr. Sec. Public School  
Niqah, Distt. Singrauli (M.P.)

प्रमाणित किया जाता है कि समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए स्कूल खुला रहेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल ऐसी रिपोर्ट एवं जानकारी, जो कि अपेक्षित की जाए, जिला शिक्षा अधिकारी को समय समय पर दिए जाने और स्कूल की मान्यता की शर्तों की पूर्ति की निरंतरता बनाए रखने या स्कूल के कार्य में आने वाली कमियों को दूर करने के लिए समुचित प्राधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी ऐसे अनुदेशों के पालन का वचन देता है।

प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेख जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या समुचित अधिकारी को निरीक्षण के लिए किसी भी समय दिए जाएंगे तथा स्कूल, यथास्थिति, संसद या राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेही या कर्तव्य के निर्वहन के लिए केन्द्र और/या राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी या प्रशासन को समस्त ऐसी जानकारियां, जो कि आवश्यक हों, प्रस्तुत करेगा।

विद्यालय, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अधिकतम मान्यता की शर्तों का पालन करेगा।

### मान्यता संबंधी दर तावेज

विवरण

अपलोड है (हाँ / नहीं)

### स्कूल द्वारा संचालित पुस्तकों की जानकारी

कक्षा	विषय	पुस्तक	लेखक	आईएसबीएन न.	अधिकतम खुदरा मूल्य
-------	------	--------	------	-------------	--------------------

### अध्यापन कर्मचारियों का विवरण

शिक्षक का नाम	पिता / पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षणिक अर्हता विषय सहित	व्यावसायिक अर्हता	अध्यापन अनुभव(महीनों में)	नियुक्ति दिनांक	कक्षा जिसमें पढ़ाते हैं
---------------	-------------------	----------	---------------------------	-------------------	---------------------------	-----------------	-------------------------

### अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के प्रयोजन के लिए पड़ोस की सीमा

ग्राम / वार्ड

पड़ोस का प्रकार

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टर्ड अकाउंट द्वारा स्तयपित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरण कि एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नंबर 3803 एवं डाइसकोड (DISE) 23500823203 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नंबर सदभित किए जाएँ
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत कि जाएगी, जो राज्य शिक्षा केंद्र/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित कि जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनु अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन कि कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता कि शर्तों कि निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाए।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें सलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपाबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लघन पाये जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

ATTESTED

  
Principal  
DAV Public School  
Nagpur, Distt. Singrauli (M.P.)

भवदीय

हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

नाम -----

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला - सगरीली

**ATTESTED**

  
Principal

DAV Sr. Sec. Public School  
Niqahi, Distt. Singrauli (M.P.)